



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
Prof. Krishna Kumar Singh
कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

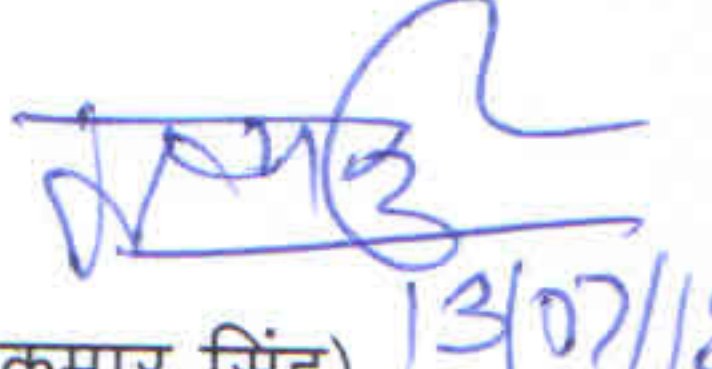
दूरभाष / Phone: +91-7152-251661
फ़ैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्रमांक : 51/2014/शो.अ.वि./056/785
दिनांक : 13.07.2018

कार्यालय आदेश

सुश्री आरिफा खातून, पी-एच.डी. शोधार्थी (2013-14), मानवविज्ञान को विशेष परिस्थिति में बिना फेलोशिप के 06 माह (17.07.2018 से आगे) की शोध अवधि का विस्तार दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(कृष्ण कुमार सिंह) 13/07/18

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. अध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग को सक्षम निकाय में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई के लिए।
4. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)।
5. परीक्षा विभाग।
6. वित्त विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए।
7. सुश्री आरिफा खातून, पी-एच.डी. शोधार्थी।
8. संबंधित फाइल